न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 55/2016/अपील

1. बिरजु राम पुत्र पूसाराम
2. हरलाल पुत्र पूसाराम
3. श्रीमती भगवानी पुत्री पूसाराम
4. श्रीमती सोहनी पुत्री पूसाराम
5. भंवरलाल पुत्र बिरजु राम

समस्त जाति जाट, निवासीगण हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्टस

बनाम

1. रामकरण पुत्र जैसाराम पुत्र रामी पुत्री रूड़ाराम
2. मगनाराम पुत्र दुलाराम पुत्र धापु पुत्री रूड़ाराम
3. विमला पत्नी सुखदेव पुत्र धापु पुत्री रूड़ाराम
4. शंकर पुत्र सुखदेव पुत्र धापु पुत्री रूड़ाराम
5. मुकेश पुत्र सुखदेव पुत्र धापु पुत्री रूड़ाराम
6. कन्हैयालाल पुत्र जगमाल पुत्र धापु पुत्री रूड़ाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र जगमाल पुत्र धापु पुत्री रूडाराम
   समस्त 1 ता 7 जाति जाट, निवासीगण बीबीपुर बड़ा, तहसील फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर (राज.)
8. छोटी देवी पत्नी बक्साराम पुत्री रूड़ाराम, जाति जाट, निवासी हरसावा बड़ा, तहसील फतेहपुर शेखावटी, हाल आबाद ग्राम नरोदड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)
9. गणेशाराम पुत्र रूड़ाराम, जाति जाट, निवासी हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर (राज.)
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये जरिये तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर (राज.)

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थित:—

1. एड. श्री अनिल कुमार भार्गव
2. एड. श्री सोमनाथ शर्मा

अधिवक्तागण अपीलान्ट्स की ओर से।

3. एड. श्री सोहनलाल — अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1, 3 से 7 की ओर से।
4. एड. श्री ताराचंद यादव — अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 की ओर से।
5. एड. श्री विद्याधर सुण्डा — अधिवक्ता रेस्पो. सं. 8 की ओर से।
6. एड. श्री प्रभातीलाल — अधिवक्ता रेस्पो. सं. 9 की ओर से।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 द्वारा तहसीलदार फतेहपुर अवस्थित ग्राम हेतमसर तहसील फतेहपुर, जिला सीकर

निर्णय

दिनांकः 13 अगस्त, 2024

1. यह अपील अपीलांट्स की ओर से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार फतेहपुर के द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

   (1) पूसाराम पुत्र कानाराम जाति जाट, निवासी हरसावा बडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी को अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा बिना भिन्न–भिन्न हिस्सों में बंटवारा कर दिया है। किसी भी न्यायालय के अथवा अधिकारी को इस प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सम्बंधित वैधानिक पक्षकारों को विधि अनुसार नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

   (2) उक्त नामान्तरकरण राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 05.09.2016 की आड़ में स्वीकृत किया गया है जबकि राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 05.09.2016 की द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में दिनांक 19.09.2016 को ही प्रस्तुत हो गई थी, एवं उसमें रेस्पोडेन्ट ने केवियट प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दे दी थी। राजस्व मण्डल के समक्ष आज भी वह अपील लम्बित है। एक अन्य अपील बलवीर बनाम रामकरण में राजस्व अपील अधिकारी सीकर का आदेश दोनों पार्टियों को सुनकर स्थगित किया जा चुका है।

   (3) नामान्तकरण सम्बंधित कार्यवाही पंचायत द्वारा सम्पन्न की जानी चाहिये थी, नामान्तकरण खोलने का क्षेत्राधिकार पंचायत के पास ही होता है।

   (4) अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित हुए।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान कथन किया कि, अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 भरने से पूर्व रेस्पो. को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवायी का अवसर दिया गया है। इस प्रकार बिना रेस्पो. को सूचित किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण भरा गया हैक जबकि मौके पर रेस्पो. काबिज हैं। उक्त विवादित भूमी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रकरण चल रहे हैं जिसमें अपीलांट बतौर प्रतिवादी पक्षकार हैं। इस प्रकार तहसीलदार फतेहपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये भरा गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 707 दिनांक 10.10.2016 को खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पो. ने कथन किया है कि, उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 707 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश की पालना में भरा गया है। न्यायालय आदेश की पालना में पक्षकारान को नोटिस देने अथवा सूचित किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार फतेहपुर द्वारा भरा गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 707 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश की पालना में भरा गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रूटी इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होती है। अन्य कोई तथ्य अपीलांट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक **13 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर